

संख्या: शिक्षा (प्रा ०) (शा० शि ० - 08) - 2024,  
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय,  
हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला -171001।

दिनांक शिमला 171001

अगस्त 2024।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

02 AUG 2024

शिमला-1

सेवा में,

समस्त उप - निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,  
हिमाचल प्रदेश।

विषय:

स्कूल प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में 15 मिनट के शारीरिक व्यायाम (पीटी) के संबंध में  
दिशानिर्देश।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि, हिमाचल प्रदेश के सभी विद्यालय प्रमुखों को सूचित किया जाए कि, प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में छात्रों के लिए शारीरिक व्यायाम करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कम से कम 15 मिनट का समय निर्धारित होगा तथा शारीरिक शिक्षक ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे। शारीरिक शिक्षक (पी०ई०टी० / डी०पी०ई० / डी०पी०ई० प्रवक्ता) जिस भी स्कूल / स्कूल क्लस्टर में तैनात हैं। वे उस स्कूल में सभी कक्षाओं या स्कूल क्लस्टर में शामिल सभी स्कूलों के छात्रों को शारीरिक व्यायाम / खेल गतिविधियों करवायेंगे। जिस स्कूल में कोई शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अन्य कोई अध्यापक यह कार्य / व्यायाम करवाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान भी अवश्य गाया जाएगा। प्रार्थना सभा सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने वाली होगी तथा 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम' व 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' को भी प्रार्थना के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन खेल का एक पीरियड जरूर होगा। स्कूलों में (सीपीआर) तथा प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जाएगी।

आप का सहयोग छात्रों के सर्वांगीण विकास के हित में अपेक्षित है और इसे अति आवश्यक समझे।

  
निदेशक

- | पृष्ठांकन | संख्या          | सम                   | दिनांक                  | शिमला ०१       | अगस्त २०२४                      |
|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| 01.       | सचिव (शिक्षा)   | हिमाचल प्रदेश सरकार  | सूचनार्थ हेतु।          |                |                                 |
| 02.       | निजी सचिव       | माननीय शिक्षा मंत्री | हिमाचल प्रदेश सरकार     | सूचनार्थ हेतु। |                                 |
| 03.       | तकनीकी अधिकारी, | आई टी सेल            | को निर्देश दिए जाते हैं | की वह पत्र को  | विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें। |
| 04.       | रक्षत           | नस्ति।               |                         |                |                                 |

  
निदेशक